



भा. कृ. अनु. प. — केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 –2787152(AAO) / FAX: 0291 – 2788706



फाइल संख्या : 11(7)2022-23/प्रशासन चतुर्थ/

दिनांक: 07.10.2022

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अ.प. — केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र एवं टेक्नोलॉजी पार्क के बगीचों में ऑवला की विभिन्न किस्मों के लगभग 250 संख्या में ऑवला के फल युक्त पेड़ लगे हैं। इन ऑवला फलों की नीलामी, फलों की ऋतु वर्ष 2022-23 (माह नवम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि) के लिए दिनांक 25.10.2022 को दोपहर :02.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध हैं। यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह निविदा सूचना राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण तथा दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण दिनांक 08.10.2022 को प्रकाशित है।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

ICAR - Central Arid Zone Research Institute

जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003

Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in

Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ mail:aaostoreadmiv@gmail.com



F. No. 11(7)2022-23/Admn. IV/

Dated the : 07.10.2022

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : **25.10.2022** समय दोपहर 2.30 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : **25.10.2022** समय दोपहर 3.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.-के०शु०क्षे०अ०सं० (काजरी),
जोधपुर । (राज०) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् _____

विषय:- के०शु०क्षे०अ०सं०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की ऋतु वर्ष 2021–22 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.-के०शु०क्षे०अ०सं०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2022-23 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.10.2022 समय दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहुँच जानी चाहिए। निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

भवदीय

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम—

- निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- ऑवला फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/-—अमानत राशि झाफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- ICAR-CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाइल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें। पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
- ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी।
- ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा।
- ऑवला पेड़ों के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यों तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यों, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सौंप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. — के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा।
- ऑवला फलों संबंधी नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को ऑवला पेड़ों के रख-रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ऑवला फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा ऑवला फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- ऑवला फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
- ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय—समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा।
- काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- COVID-19** नोवल कोरोना कोविड 19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, दिशा निर्देशों की अनुपालन सख्ती से करनी होगी।
- आवला फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाईजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में ऑवला फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी।
- संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
- संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक ऑवला फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में लगाने होगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं है तथा उन सभी श्रमिकों को मुँह पर मास्क, फेस कवर / शील्ड, दास्ताने तथा हेण्ड सेनेटाईजर तथा वेक्सिनेटेड इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा।
- सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक